International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 27-11-2019; Accepted: 28-12-2019
www.hindijournal.com
Volume 6; Issue 1; January 2020; Page No. 90-93

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का समीक्षात्मक अध्ययन

रमा रंजन उपाध्याय
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी, 1930 की बैठक में प्रति वर्ष 29 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 19 जनवरी, 1930 को संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी कानपुर की बैठक में प्रान्त की जनता से कांग्रेस के आन्दोलन में अधिक उत्साह और साहस से भाग लेने की अपील की। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 जनवरी, 1930 को उत्साहपूर्ण वातावरण में पूर्ण स्वराज्य दिवस बनाया गया। वाराणसी में क्रान्तिकारियों द्वारा बम से सम्बन्धित विद्रोही नीति का घोषणा पत्र वितरित किया 29 जनवरी को आजमगढ़ में एक बड़ा जुलूस निकाला गया और राज्यमंत्री सीताराम अस्थाना के समापतित्व में एक विशाल सभ की गई, वक्ताओं ने देश की राजनीतिक परिस्थिति की समीक्षा करते हुये पूर्ण स्थानीयता का प्रस्ताव जनता के सामने रखा। स्वतन्त्रता के प्रतिक्ष्ज्ञा पत्र पर बहुत लोगो ने हस्ताक्षर किये।[1] फैजाबाद में सरकारी प्रतिबंध के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता बलदेव श्रीवास्तव विशाल तिरंगा झण्डा लेकर अकेले अयोध्या में घूमे।[2]

कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 14–16 फरवरी, 1930 साबरमती में हुई। कार्यकारिणी ने स्थिति का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया और एक प्रस्ताव पास कर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए सम्पूर्ण अधिकार दे दिये। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के निर्णय का स्वागत संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने 26 फरवरी, 1930 भी इलाहाबाद में एक प्रस्ताव पास करके किया। इसके साथ ही आर्थिक विकास सम्बन्धी कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों को भी स्वीकार करने की घोषणा की गई।[3] महात्मा गांधी आन्दोलन के लिए किसी ऐसे क्षेत्र को चुनना चाहते थे जिसमें सारे देशवासियों की रूचि शामिल हो। गांधी जी ने नमक कानून को सबसे पहले तोड़ने का निश्चय किया क्योंकि नमक जैसी जीवन के लिए आवश्यक वस्तु पर सरकार का एकाधिकार था और नमक पर कर भी अधिक था। नमक कानून तोड़ने के लिए नमक बनाने के उद्देश्य से समुद्र तट पर नवस्थित डांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान करने के पहले गांधी जी ने अपनी 11 शर्तें प्रकाशित की और अपने एक पत्र में वायसराय को वह शर्तें लिख भेंजी जिन पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किया जा सकता था। सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।

शासन की हठधर्मी के कारण महात्मा गांधी आन्दोलन प्रारम्भ करने को विवश हो गये। 12 मार्च, 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से डांडी समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। महात्मा गांधी 5 अप्रैल, 1930 को डांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरमेघ के अविस्मरणीय दिन उन्होंने डांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उलंघन कर सत्याग्रह का श्रीगणेश किया और घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति जो नमक कानून उलंघन के दण्ड को सहने के लिए तैयार हो जब और जहाँ चाहे नमक बना सकता है। भारत सरकार से प्रान्तीय सरकार को सत्याग्रह आन्दोलन का दमन करने के लिए विशेष निर्देश प्राप्त हुये। प्रत्येक जिले से प्रान्त के मुख्यालय को तथा प्रान्त के मुख्यालय से भारत सरकार को आन्दोलन की प्रगति के विवरण भेजे जाते रहे। नमक कानून का उलंघन करने वालों हेतु कठोर दण्ड निर्धारित किया गया तथा सत्याग्रहियों के नामक को बंदी बनाने के लिए जिलाधिकारियों को विशेषाधिकार दिये गये।[4]

12 मार्च, 1930 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, फैजाबाद तथा मिर्जापुर जिलों में कांग्रेस के जुलूस निकाले गये तथा सभायें की गई। वाराणसी में कांग्रेस स्वयंसेवकों तथा यूथलीग के कार्यकर्ताओं का सम्मलित जुलूस निकाला गया। जौनपुर में रामेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया और टाउन हाल के पास एक सभा हुई जिसमें आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए महात्मा गांधी को बधाई दी गईं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वाराणसी में नमक कानून का उलंघन किया गया। सम्पूर्णानन्द वाराणसी के प्रथम नायक चुने गये। 3 अप्रैल, 1930 को काशी विद्यापीठ के समीप सौनिया नामक स्थान पर नमक बनाया गया। स्वयंसेवकों द्वारा निर्मित नमक को छीनने हेतु पुलिस बलप्रयोग करती और स्वयंसेवक नमक की रक्षा करते। ऐसे में अत्यन्त रोमांचकारी वातावरण उपस्थित हो जाता। पुलिस के बल प्रयोग से कई स्वयंसेवक घायल हो गये।

14 अप्रैल, 1930 को गोरखपुर में द्वितीय तहसील अधिवेशन गणेश शंकर विद्यार्थी की अध्यक्षता में हुआ। बाबा राघवदास ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समर्थन में वर्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिन्हें अधिवेशन में स्वीकृति दे दी। 14 अप्रैल को ही जवाहर लाल नेहरू गिरफ्तार कर लिये गये। पूर्वी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, बलिया, मिर्जापुर तथा जौनपुर जिलों में नेहरू जी की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल की गयी और जुलूस निकाले गये। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के उत्तेजनापूर्ण वातावरण में संयुक्त प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेन, 18–21 अप्रैल, 1930 को कानपुर में हुआ जिसमें यह निश्चित किया गया कि यदि नमक कानून समाप्त कर दिया जायेगा तो भी स्वतन्त्रता न मिलने तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन जारी रहेगा। जिला कांग्रेस संगठनों को उपनिवेश तथा विदेशी वस्त्र बहिष्कार हेतु निर्देश दिये गये। प्रान्तीय कांग्रेस कार्यकारिणी ने 19 अप्रैल को कानपुर में एक कार्यक्रम प्रकाशित करके सत्याग्रह का प्रसार करने की अपील की।[5] संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों से सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सहयोग न देने की अपील की। लीग के अनुसार यदि मुसलमानों ने इस आन्दोलन में सहयोग दिया तो भविष्य में उन्हें हिन्दू महासभा के आधीन होना पड़ेगा। बानियत उल–उलमा संगठन ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने इस आन्दोलन में सक्रिय सहयोग दिया। मिर्जापुर के बैरिस्टर युसुफ इमाम ने मुसलमानों से मुस्लिम लीग के बहकावे में न आने की अपील की।

23 अप्रैल, 1930 को वाराणसी के टाउन हाल में एक सभा हुई जिसमें आचार्य कृपलानी, डॉ0 भगवानदास तथा आचार्य नरेन्द्र

देव ने मुसलमानों से आन्दोलन में सहयोग देने की अपील की। गोरखपुर में कसिया, पड़रौना, बिच्छापुरा, रामकौला तथा बरहज में बाबा राघवदास ने विशाल जन सभाओं को सम्बोधित किया और जनता से अधिक से अधिक संख्या में नमक कानून का उलंघन की अपील की।[6] बंपुरा बाजार में कई मन नमक बनाया गया।[7] वाराणसी जिले के सत्याग्रह आन्दोलन के नायक श्रीप्रकाश 25 अप्रैल, 1930 को गिरफ्तार कर लिये गये। डॉ0 भगवान दास को महात्मा गांधी ने श्रीप्रकाश के गिरफ्तार होने पर पत्र द्वारा बधाई भेजी। गाजीपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परशुराम राय सहित अनेक कांग्रेस स्वयंसेवकों को नमक कानून का उलंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हड़ताल की गई तथा सरकार के विरोध में सभाओं का आयोजन किया गया।[8] 5 मई, 1930 को बलिया के सुधर छपरा ग्राम में हजारों व्यक्तियों ने नमक बनायां। 9 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में चौक में विशाल जन सभा हुई जिसमें विंध्यवासिनी प्रसाद ने वकालत छोड़ने की घोषणा की। 9 मई को नगवा बाजार में रामदेव पाठक के नेतृत्व में नमक बनाया गया। 14 मई को बलिया कांग्रेस कमेटी ने मादक द्रव्यों की दुकानों पर धरना देने तथा कांग्रेस संगठन हेतु धन एकत्र करने की योजना बनाई। बलिया में शराब की दुकानों पर धरना दिया गया धरना अत्यन्त सफल रहा।[9]

10 मई, 1930 को मिर्जापुर में बेरिस्टर युसुफ हमाम गिरफ्तार कर लिये गये, यहाँ के टाउन हाल में हजारों व्यक्तियों ने नमक बनाया।[11] श्रीमती सरोजिनी नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में 23 मई, 1930 को वाराणसी में स्त्रियों ने जुलूस निकाला और टाउन हाल के मैदान में हुई सभा में भाग लिया। सभा को आचार्य नरेन्द्र देव, डॉ0 भगगवानदास, कृष्णचन्द्र शर्मा आदि विशिष्ट नेताओं ने सम्बन्धित किया और श्रीमती नायडू को बधाई दी।[12] कमलापति त्रिपाठी ने वाराणसी में टाउन हाल कमालपुर में जन सभाओं में भाषण दिया और जनता से कांग्रेस के कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील की। 1930 के मई–जुलाई मास में सरकार ने देश में समाचार पत्रों का दमन करने के लिए एक प्रेस अधिनियम पास किया क्योंकि सरकार के मत में समाचार पत्र सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रसार करने में अत्यधिक योगदान दे रहे थे। वाराणसी के दैनिक 'आज' को सरकार द्वारा चेतावनी दी गई कि उसमें सम्पादकीय वक्तव्य न प्रकाशित किये जायें। समाचार पत्रों के प्रकाशकों से कानून की अवज्ञा करने पर प्रतिभूति की मांग की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेसी ताग कांग्रेस समधेत समाचार पत्रों से प्रेस अधिनियम के विरोध में समाचार पत्रों का प्रकाशन बन्द कर देने का आग्रह किया। वाराणसी के दैनिक 'आज' का प्रकाशन 11 मई, 1930 से 29 अक्टूबर 1930 तक बन्दकर दिया गया था। संयुक्त प्रान्त कांग्रेस कमेटी 19 जुलाई, 1930 को अपनी बैठक में विद्यार्थियों से कांग्रेस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग देने की अपील की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों ने कांग्रेस की हर प्रकार से सहायता की । वाराणसी में काशी विद्यापीठ तथा हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों ने सराहनीय कार्य किया। आजमगढ़ में वेस्ली स्कूल पर झण्डा फहराने के आरोप में 110 लड़के स्कूल से निकाल दिये गये। स्कूलों पर धरना दिया गया। एक दिन स्कूल के सहायक मैनेजर, पादरी रसेल स्कूल के फाटक पर धरना देने वाले विद्यार्थियों को अपनी साइकिल से कुचलते हुये अंदर चले गये उससे नागरिकों में क्षोभ व्याप्त हो गया। कुछ दिनो बाद समझौता हुआ जिसके अनुसार विद्यालय पर पुनः तिरंगा झण्डा लगाया जाने लगा। विद्यालय से निकाले गये विद्यार्थी पुनः ले लिये गये। इस घटना में प्रमुख भाग लेने वाले छात्रों में सर्वरी सच्चिदानन्द पाण्डेय, श्रीराम राय, केशव प्रसाद तथा कपिलदेव राय आदि के नाम उल्लेखनीय है।[12]

संयुक्तत प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने 10 अगस्त, 1930 को प्रयाग में अपनी बैठक में 15 सितम्बर से पूर्व सर्वत्र बहिष्कार सप्ताह मनाने व कौंसिल चुनाव के विरुद्ध आन्दोलन करने का प्रस्ताव पास किया। 11 अगस्त को वाराणसी में राजनीतिक बन्दी दिवस मनाया गया, उस दिन हड़ताल की गई औ सभाओं को विशिष्ट नेताओं ने सम्बोधित किया। 14 अगस्त को मिर्जापुर में तिलक दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को ही मिर्जापुर में बम्बई में हुई मदन मोहन मालवीय की गिरफ्तारी के विरोध में सभाओं का आयोजन किया गया।[14] गाजीपुर तथा जौनपुर में भी जन सभाओं में वक्ताओं ने मालवीय जी की गिरफ्तारी के लिए सरकार की कटु आलोचना की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूर्ववत चलता रहा। 3 सितम्बर, 1930 को बलिया में धारा 144 लगा दी गई। कांग्रेस स्वयंसेवकों का जुलूल जब विशनीपुर की मस्जिद के पास पहुँचा तो उसे रोक दिया गया, जिसके कारण सत्याग्रही वहीं बैठ गये। पुलिस का प्रत्यय पाये बदमाशों ने जब शान्ति पूर्वक बैठे सत्याग्रहियों पर कंकड़ फेंके तो भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिलाधीश ने गोली चलाने की आज्ञा दे दी जिससे अनेक स्वयंसेवक घायल हुये। उस घटना के बाद बलिया में श्रीमती उमा नेहरू तथा कृष्णकान्त मालवीय आये, जनता ने उन्हें शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन चलाने का बचन दिया।[15] 28 सितम्बर, 1930 को गोरखपुर में श्रीमती कमला नेहरू ने एक सभा को सम्बोधित किया, उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्त्रियों को पुरुषों के साथ आन्दोलन में भाग लेने की अपील की।[16]

जून 1930 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने इलाहाबाद में एक प्रस्ताव पास करके संयुक्त प्रान्त में कर बंदी आन्दोलन प्रारम्भ करने की छूट दे दी। अक्टूबर 1930 में संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस ने किसानों के कष्टों को देखते हुए आन्दोलन को चलाने की दिशा में पहल किया। कर बंदी आन्दोलन के राजनीतिक और आर्थिक पक्ष थे किन्तु आन्दोलन के आर्थिक पक्ष का ही किसानों पर अधिक प्रभाव पड़ा। कर बन्दी आन्दोलन का किसानों ने हृदय से समर्थन किया। संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस ने संयुक्त प्रान्त के किसानों से एक अपील की जिसमें कहा गया कि लगान बन्दी का तात्पर्य जमीदारों द्वारा ब्रिटिश सरकार की मालगुजारी देना बन्द करना तथा किसानों द्वारा लगान का पचास प्रतिशत देना बिल्कुल बन्द कर दें।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगान बन्दी आन्दोलन का प्रारम्भ प्रतापगढ़ से हुआ। 18 अक्टूबर, 1930 को जवाहर लाल नेहरू ने प्रतापगढ़ में खंमुरही गाँव में किसानों को 50 प्रतिशत लगान अनाज के रूप में देने की सलाह दी, उन्होंने यह भी कहा कि यदि जमीदार इतना न ले या पूरी लगान लेना चाहें तो उन्हें कुछ भी न दिया जाय। 6 नवम्बर 1930 को गोरखपुर के महराजगंज के किसानों ने जमींदार के कर्मचारियों की पिटाई इसलिए कर दी क्योंकि वे बारह आने प्रति बीधे से अधिक लगान नहीं देना चाहते थे और जमीदार के कर्मचारी उससे अधिक लगान वसूलना चाहते थे। बाबा राघवदास तथा रामधारी पाण्डेय ने यहाँ के किसानों की सभा को सम्बोधित किया और उनसे केवल 50 प्रतिशत लगान जमीदारों को देने की सलाह दी। गोरखपुर में ही रामकोला, देवरिया, रामपुर, बरहच तथा पीपीगंज में बाबा राघवदास ने किसानों से कर बन्दी आन्दोलन अहिंसापूर्वक जारी रखने की अपील की। सुल्तानपुर जिले में कांग्रेस स्वयंसेवकों ने गांव गांव में जाकर किसानो को केवल आधा लगान देने की सलाह दी।[17] आजमगढ़ जिले में चौरी तहसील में अधिकारियों की सतर्कता के बाद भी कांग्रेस स्वयंसेवकों ने लगान बन्दी आन्दोलन से सम्बन्धित साहित्य किसानों में वितरित किया। 19 फरवरी, 1931 को प्रतापगढ़ में पट्टी तहसील के कहला ग्राम में एक

किसान नेता के आहवान पर विशाल जन सभा का आयोजन हुआ। सभा की कार्यवाही पहले राष्ट्रीय गीत से प्रारम्भ की गई ही थी कि पुलिस अधिकारियों ने आकर सभा को समाप्त घोषित कर दिया और कुछ व्यक्तियों को घटना स्थल पर गिरफ्तार करना चाहा। पुलिस की उस अनुचित कार्यवाही का कुछ लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने भीड़ पर गोली बर्षा कर दी जिसके परिणाम स्वरूप 3 व्यक्ति घटनास्थल पर शहीद हो गये। प्रतापगढ़ तथा निकटवर्ती जिलों के किसानों में इस घटना से रोष व्याप्त हो गया किन्तु पुरुषोत्तमदास टंडन ने आकर स्थिति को संभाल लिया। जवाहर लाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय तथा शीतला सहाय ने भी कहला ग्राम का दौरा किया और किसानों को सांत्वना दी। कहला क्षेत्र में पुलिस का घातकों कम करने के उद्देश्य को कालाकांकर के राजा अवधेश प्रताप सिंह ने यहां एक सप्ताह का शिविर किया जिससे किसानों में व्याप्त निराशा कम हुई। अगस्त 1931 में वाराणसी में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें पुरुषोत्तमदास टंडन, उमा नेहरू आचार्य नरेन्द्र देव, पं0 सुन्दर लाल, श्रीप्रकाश तथा मंजूरअली सोख्ता, ने भाग लिया, बैठक में लगान बन्दी आन्दोलन पर विचार किया गया। सरकार ने नवम्बर 1931 में मालगुजारी में कुछ छूट दी[18] किन्तु वह अपर्याप्त थी। 1932 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ तथा गाजीपुर में कर बन्दी आन्दोलन की गतिविधियां जारी रहीं और इसके अन्तर्गत सरकार ने बहुत से किसानों को गिरफ्तार किया।

संयुक्त प्रान्त में सविनय अवज्ञा आन्दोलन सफलतापूर्वक गतिमान था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन पर तत्कालीन वाइसराय लार्ड ईरविन की दो प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। ये अपनी शक्ति पर आन्दोलन का दमन करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने नये नये अध्यादेशों की स्वीकृति दी, दूसरी ओर वे किसी सम्मानजनक समझौते के लिए भी प्रयत्नशील थे। जयकर सप्रू वार्ता असफल होने पर गतिरोध पूर्वस्थिति में बना रहा और कांग्रेस प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवम्बर 1930 को लन्दन में प्रारम्भ हुआ। उस दिन भारत में सम्मेलन का विरोध प्रकट करने के लिए जूलूस निकाले गये और आम हड़ताल की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर तथा जौनपुर में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विरोध में सभाओं का आयोजन किया गया।[19]

प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद सर तेजबहादुर सप्रू और जयकर ने मध्यस्थता का प्रयत्न फिर प्रारम्भ कर दिए। इन मध्यस्थता प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी और लार्ड ईरविन में विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ। गांधी ईरविन की बातचीत के परिणाम स्वरूप 5 मार्च, 1931 को एक समझौता हुआ[20] जो गांधी ईरविन समझौते के नाम से विख्यात है। गांधी ईरनि समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को बन्द करने की घोषणा की और सरकार ने राजनीतिक बन्दियों को मुक्त करने का आश्वासन दिया तथा कांग्रेस संगठनों पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया। 5 मार्च, 1931 को गांधी जी ने प्रतिनिधि सम्मेलन में घोषणा की कि कांग्रेस अपने पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। 10 अप्रैल, 1931 को लार्ड ईरविन के स्थान पर लार्ड विलियन भारत के वायसराय नियुक्त हुये। वो आन्दोलन को दमन करने का विचार रखते थे। कांग्रेस समझौते की शर्तों का पालन करती रही किन्तु सरकार की दमन नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दमन की स्थिति को देखते हुये कांग्रेस कार्यकारिणी ने 13 अगस्त, 1931 को प्रतिशोध के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग न लेने की घोषणा की। 19 अगस्त 1931 को गांधी जी ने एक सार्वजनिक पत्र प्रकाशित किया जिसमें सरकार द्वारा समझौते की शर्तों का पालन न करने का उल्लेख था। अन्त में स्थिति का निराकरण किया गया और गांधी जी के सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया।

4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष बल्लभ भाई पटेल गिरत्तार कर लिये गये और कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित करते हुये सभी प्रकार के प्रदर्शनों एवं सभी प्रकार के साहित्य तथा उसके प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। संयुक्त प्रान्त में सरकार ने जिलाधिकारी को कांग्रेस के जुलूस तथा सभाओं को रोकने हेतु विशेष आदेश दिये। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रायः हर जिले में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाले गये और सभायें की गई। 5 जनवरी, 1932 को वाराणसी मे गाधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल की गई और एक जुलूस दशास्वमेघ घाट से निकाला गया। ये जुलूस टाउनहाल के मैदान में पहुंचा तो उसे तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, शान्तिपूर्ण जुलूस पर लाठी वर्षा से लोगों में उत्तेजना फैल गई और कुछ लोगों ने पुलिस पर कंकड़ फेंके। पुलिस ने 14 चक्र गोलियां चलाई जिससे 3 व्यक्ति मारे गये। बलिया में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में की जा रही सभा पर लाठी बर्षा की गई और विंध्यावासिनी प्रसाद सहित सभी वक्ताओं को बन्दी बना लिया गया।[21] आजमगढ़ में अधिकारियों द्वारा लगायी गई धारा 144 का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उलंधन करके विशाल जन सभा का आयोजन किया, पुलिस ने जनता पर लाठी वर्षा की और सीताराम अस्थाना सहित अन्य कर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। फैजाबाद में निकाले गये जुलूस पर कोतवाली के समीप लाठी वर्षा की गई और बायुदेवाचार्य तथा बलदेव सहाय को बन्दी बना लिया गया।[22]

29 जनवरी, 1932 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर गाजीपुर, प्रतापगढ़, बलिया तथा मिर्जापुर में स्वतन्त्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। आजमगढ़ वाराणसी तथा रामकोला गोरखपुर में पुलिस तथा जन समूहों में संघर्ष हो गया। 29 जनवरी, 1932 को वाराणसी में खादी भण्डार के संचालक वीरेश्वर कपर की गिरफ्तार कर लिया गया तथा सदर भण्डार का सामान पुलिस उठा ले गई। 5 फरवरी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेशावर दिवस मनाया गया। मिर्जापुर में पेशावर दिवस के उपलक्ष्य में हड़ताल की गई तथा लालडिन्नी मार्क में सभा का आयोजन किया गया। संयुक्त प्रान्त में मार्च 1933 तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन की गति मन्द हो गई। गांधी जी ने अछूतोद्धार की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया। 8 मई को गांधी जी ने अछूतोद्धार करने के लिए 21 दिनों का व्रत रखा, सरकार ने 29 मई, 1933 को इन्हें जेल से मुक्त कर दिया। जेल से बाहर आने पर गाधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और सरकार की आंमत्रण दिया कि राजनीतिक कैदियों को मुक्त करके सरकार देश में शान्ति स्थापित करने के लिए सुअवसर का लाभ उठाने किन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया। विट्ठल भाई पटेल तथा सुभाष चन्द्र बोस ने गांधी जी के इस कार्य की निन्दा की। उनके मत में महात्मा गांधी ने ऐसा करके सविनय अवज्ञा आन्दोलन की असफलता स्वीकार की है।

सन्दर्भ सूची

1. गुप्तचर विभाग के अभिलेख
2. स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (फैजाबाद) सूचना विभाग, उ0प्र0, पृ0 उ
3. दि पायनियर, 28 फरवरी, 1930, पृ0 7
4. गुप्तचर विभाग के अभिलेख
5. आज, 29 अप्रैल, 1930, पृ0 7
6. गुप्तचर विभाग के अभिलेख
7. सत्याग्रह समाचार दैनिक, सं0 बैजनाथ कपूर, 23 अप्रैल, 1930, पृ0 3
8. गुप्तचर विभाग के अभिलेख
9. राम इकबाल पाठक, बलिया में सत्याग्रह संग्राम, पृ0 7

10. सत्याग्रह समाचार दैनिक, सम्पादक बैजनाथ कपूर, 13 मई, 1930, पृ0 1
11. दि लीडर, 25 मई, 1930, पृ0 9
12. स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक आजमगढ़, सूचना विभाग, उ0 प्र0, पृ0 च
13. दि लीडर, 19 अगस्त, 1930, पृ0 9
14. रामकवाल पाठक, बलिया में सत्याग्रह संग्राम, पृ0 9
15. गुप्तचर विभाग के अभिलेख
16. गुप्तचर विभाग के अभिलेख
17. कुल मिलाकर 10941 रु0 की छूट दी गई थी, दि पायनियर, 18–11–1931, पृ0 5
18. गुप्तचर विभाग के अभिलेख
19. दि पायनियर, 7 मार्च, 1931, पृ0 1
20. दि लीडर, 8 जनवरी, 1932, पृ0 11
21. स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक फैजाबाद, सूचना विभाग, उ0 प्र0, पृ0 च